

( का. 20 दि. 8 / का. 20 )

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नगरीय जिला नवलपरासी उपखण्ड  
दंडीजलास श्री सी-एल-इमा (का. 20 दि. 8)

अन्याय प्रकरण


श्री देवीचंद्र उर्फ देवीलाल पिता एकविंशं धार निवासी कावलास तहसील मांडन

बचान

- 1- श्रीमान् श्रीक. सेठेवरी महेन्द्र रत्नस्थान बेरगाव जयपुर
- 2- श्रीमान् बिलाधिरा महेन्द्र श्रीलकाश
- 3- श्रीमान् तहसीलदार सा. माण्डन
- 4- श्रीमान् ग्राम पंचायत कावलास परिषे सरपंच

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 नुकदना नं०/का 73/06 दिनांक 23-3-18  
 यह नुकदना अज अदालत वाद इनफिसत कतई न्याय अदालत व डिप्टी जजल मंत्री  
 मिनजानिव नुददई व श्री थतिन्द्र चौधरी ADVOC. कलमेव नुददना पर हंकर हुल  
 दिया जाता है कि छिन्नी दी जाती है कि आतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम  
 कावलास परवार हल्का कावलास तहसील मांडन मे स्थित आराजी स. 499  
 जो उरियादी स. 4 के नाम दर्ज रेकर्ड है मे से 18 बिस्वा भूमि  
 को कम किया जाकर उपरोक्त भूमि को आराजी स. 494, 495, 496  
 मे माँके अनुसार मिलाया जाने का आदेश दिया जाता है साथ ही  
 वारी को उपरोक्त प्राप्त 18 बिस्वा भूमि का बतौर करतकर भी  
 घोषित किया जाकर शही अनुसाद तहसीलदार मांडन को राजस्व रेकर्ड  
 व राजस्व नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश दिमे जाते हैं।  
 शर्का फरिफेन अपना-अपना बदन करे।

अज का. 20 दि. 8 का नं० हल्का 20 नवलपरासी जिला नवलपरासी उपखण्ड

  
 उपखण्ड-अधिकारी  
 नगरीय जिला नवलपरासी उपखण्ड